न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध प्रार्थना पत्र धारा 497 बी एन एस एस
प्रकरण संख्या 122/2024(GCMS No. : 2024/174)

1. **हरदीप सिंह** पुत्र श्री गुरदेव सिंह निवासी वार्ड नम्बर –5, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **मुरलीधर परवानी** पुत्र श्री भगवान दास परवानी निवासी वार्ड नम्बर 4, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार

27.08.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी हरदीप सिंह एवं मुरलीधर परवानी ने जरिये अधिवक्ता श्री विक्रम पूनिया ने अन्तर्गत धारा 497 बी एन एस एस के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.06.2024 की प्रति पेश की है, जिसमें प्रार्थीगण हरदीप सिहं एवं मुरलीधर परवानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी अन्तर्गत धरा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया गया है।** प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र दो मोबाईल ओ पी कम्पनी व रेड मी कम्पनी तथा प्रर्थी मुरलीधर का मोबाईल वीओ कम्पनी द्वारा पुलिस थाना सदर द्वारा जब्त किये गये थे, जिन्हें प्रार्थीगण सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु पेश किया है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पूर्व में एक प्रकरण पेश [illegible] था, जिसमें उक्त **अप्रार्थी मुरलीधर एवं हरदीप सिंह** अप्रार्थी संख्या 3 व 4 [illegible] प्रकरण में <u>पक्षकार</u> थे। उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक दिनांक [illegible]04.2022 से <u>अप्रार्थी</u>[illegible]से जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल एवं वाहन ट्रैक्टर मय ट्रॉली आरजे–15/आरए–4222 को राजसात करने के आदेश दिये गये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेश के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 407, 120बी, 409 के तहत विचाराधीन है। जिसमें भी **प्रार्थीगण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचारधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 पर के रूप पक्षकार है।**

इस न्यायायल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार है और जिस पर **इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इस न्यायालय को जब्तशुदा वाहन पर जुर्माना लगाकर रिलीज करने का क्षेत्राधिकार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पुर्नावलोकन (Review) का कोई प्रावधान नहीं है।** इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रं खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:40 IST
Reason: SelfAttested